



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

न्यू ऑफिस भवन, रिंग रोड नं.-2, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4942  
क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2023  
प्रति,

रायपुर दिनांक 27/12/2023

✓सदस्य सचिव,  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,  
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,  
जिला - रायपुर (छ.ग.)

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ओ.ए. क्रमांक 136/2023 (सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य के संबंध में।

- संदर्भ :- 1 मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5823/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2023 दिनांक 17.10.2023.  
2 इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3509/क्षेका./तक./छ.प.सं.मं./2023 रायपुर दिनांक 17.10.2023.  
3 कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 8454/व.लि.-1/पर्यावरण/2023 दिनांक 20.10.2023.

—::0::—

उपरोक्त विषयांतर्गत ओ.ए. क्रमांक 136/2023 (सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के परिपालन में ग्राम-सेलदीप, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, क्षेत्र (छ.ग.) में अवैध रेत उत्खनन के संबंध में आवश्यक जांच एवं प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से निम्नांकित अधिकारियों के दल का गठन किया गया :-

1. श्री सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरुद
2. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर
3. श्री बजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी, धमतरी

उक्त प्रकरण के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.12.2023 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया तथा पंचनामा तैयार किया गया। निरीक्षण में ग्राम-सेलदीप में अवैध रेत उत्खनन अथवा अवैध रेत भण्डारण की स्थिति नहीं पाई गई। तदानुसार समिति द्वारा जांच में पाये गये तथ्यों को समाहित करते हुये प्रतिवेदन तैयार कर हस्ताक्षरित किया गया। उक्तानुसार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल को मंडल मुख्यालय स्तर से प्रेषित किये जाने हेतु प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल  
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2023

रायपुर दिनांक / /2023

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 श्री सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरुद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।
- 3 श्री बजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी, धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल  
रायपुर (छ.ग.)


ओ.ए. क्रमांक 136/2023(सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के परिपालन में तैयार एक्शन टेकन रिपोर्ट।

- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओ.ए. क्रमांक 136/2023(सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 में प्रकरण के संबंध में जांच हेतु कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) या उनके प्रतिनिधि तथा छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रतिनिधि के संयुक्त दल का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम- सेलदीप, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, क्षेत्र (छ.ग.) में अवैध रेत उत्खनन के संबंध में आवश्यक जांच एवं प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों के दल का गठन किया गया (संलग्नक-01 अनुसार):-
  - श्री सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरुद
  - श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर
  - श्री बजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी, धमतरी
- प्रकरण के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.12.2023 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया तथा पंचनामा तैयार किया गया (संलग्नक-02 अनुसार)। निरीक्षण में शिकायत स्थल ग्राम- सेलदीप में अवैध रेत उत्खनन की स्थिति नहीं पाई गई। साथ ही ग्राम-सेलदीप में अवैध रेत भण्डारण की स्थिति भी नहीं पाई गई।
- कार्यालय तहसीलदार, कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.) द्वारा पत्र क्रमांक 132/तह./वा. 1/2023 कुरुद, दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से स्थल जांच सीमांकन प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-धमतरी (छ.ग.) को प्रेषित किया गया (संलग्नक-03 अनुसार), जिसका अवलोकन समिति द्वारा किया गया। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार ग्राम-सेलदीप स्थित शासकीय भूमि ख.नं.-939 रकबा- 70.69 हेक्टेयर की भूमि पानी के नीचे (महानदी) के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। साथ ही उक्त क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होने के संबंध में भी लेख किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-धमतरी (छ.ग.) द्वारा पत्र क्रमांक 2331/खनिज/विधि./रेत/शिका./2023 धमतरी, दिनांक 26.12.2023 (संलग्नक-04 अनुसार) के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन समिति द्वारा किया गया। उक्त जानकारी अनुसार अवधि दिनांक 17.10.2018 से दिनांक 14.06.2019 तक ग्राम-सेलदीप के पक्ष में खसरा क्रमांक 939 रकबा 70.69 हेक्टेयर में से 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत खदान स्वीकृत रही, जिसका संचालन ग्राम-पंचायत सेलदीप के द्वारा किया जाता था। खदान संचालन से ग्राम-पंचायत को राशि 17,00,000/- रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। साथ ही ग्राम-सेलदीप में ख.नं.-154/1,2 रकबा 0.86 हेक्टेयर क्षेत्र में




परागबढे निवासी दुर्ग को 14790 घनमीटर के लिये अवधि दिनांक 27.05.2021 से दिनांक 26.05.2024 तक रेत भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत रही है।

- उक्त तथ्यों के प्रकाश में समिति का यह मत है कि ग्राम-सेलदीप में अवैध रेत उत्खनन अथवा अनाधिकृत रेत के भण्डारण के साक्ष्य नहीं पाये गये हैं। अतः प्रकरण के संबंध में अन्य कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।



बजरंग पैकरा  
खनि अधिकारी, जिला-धमतरी



प्रसन्ना सोनकर,  
सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय,  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

①

सोनाल डेविड  
डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
तहसील - कुरुद, जिला-धमतरी



## कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.)

ई-मेल आईडी dhamtari.cg@nic.in दूरभाष नं. 07722-237592. फ़ैक्स नं. 07722-237114

/// आदेश ///

क्रमांक / ८५५ / व.लि.-१ / पर्यावरण / 2023

धमतरी, दिनांक 20 / 10 / 2023

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 5823 / विधि / छ.ग.प.सं.म / 2023 अटल नगर दिनांक 17.10.2023 के द्वारा ओ.ए.क्रमांक 136 / 2023 (सी.जेड.) गोर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 में प्रकरण ग्राम सियालदीप, तहसील कुरुद जिला धमतरी में अवैध रेत उत्खनन की जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की टीम गठित की जाती है -

1. श्री सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद
2. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्या.छ0ग0पर्या. संरक्षण मंडल,
3. श्री वजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी धमतरी

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के आदेशानुसार प्रकरण की संयुक्त जांच कर रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें।

कलेक्टर,  
जिला धमतरी

पू. क्रमांक ८५५५ / व.लि.-१ / पर्यावरण / 2023  
प्रतिलिपि:-

धमतरी, दिनांक 20 / 10 / 2023

1. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर -19 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.
2. प्रभारी अधिकारी, (विधि शाखा) जिला कार्यालय धमतरी
3. श्री सोनाल डेविड, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद
4. श्री प्रसन्ना, सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर -19 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.).
5. श्री वजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी धमतरी  
को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,  
जिला धमतरी

आज दिनांक 13/12/2023 को ग्राम सेलक्षीप लख कुरुह जि. चम्पल में कार्यालय कलेक्टर के कार. क्र. 8454 दि. 20/10/2023 के परिणाम में राजस्व, क्षेत्रीय कार्यालय ह. ग. 0 पर्या. मण्डल, रायपुर एवं स्वतंत्र विभाग के संयुक्त टीम द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित आधिकारण में दर्ज प्रकरण क्रमांक OAN0136/2023 में पारित आदेश दिनांक 11/10/2023 पर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में शिकायतकर्ता श्री गौरसिंग निवाह व अन्य ग्रामवासि सेलक्षीप के उपस्थिति में शिकायती क्षेत्र ग्राम सेलक्षीप के ख. क्र. 939 का भाग ख. क्र. 5 लहे. क्षेत्र ख. का निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र ख. में दिनांक 17/10/2018 से 14/06/2019 तक स्वीकृत था। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर किसी प्रकार का उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया, तथा ग्राम सेलक्षीप के ख. क्र. 254/1, 2 ख. क्र. 0.86 हे. में श्री परागजेट निवासी दुर्ग को 14790 छतमीटर रेत भण्डारण के लिए 27/05/2021 से 26/05/2023 तक भण्डारण अनुमति प्राप्त है। ग्राम सेलक्षीप व ग्राम करेलीखोरी में अपनी संरक्षित क्षेत्र में आवागमन हेतु रैम्प का निर्माण किया गया है तथा स्वीकृत रेत खदान ग्राम करेलीखोरी के लिए रेत नििकासी के लिए उक्त रैम्प का उपयोग किया जाता था।

पंचनामा, लिखा, गया, पठार, सुनकर सत्य की शक्ति धर्मोपलब्धि किया गया।

- ① श्री भरत भूषण साहू पि. श्री मनीशम साहू  
निवासी - सेलक्षीप लख कुरुह जि. चम्पल
- ② श्री राजेन्द्र कुमार साहू पि. श्री लक्ष्मीशम साहू  
निवासी - सेलक्षीप लख कुरुह जि. चम्पल

Bahy  
राजेन्द्र कुमार

- ③ श्री. गोरसिंग निषाद पि.भी. दामराम निषाद  
निवासी. सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ④ श्री. संकुसदास मानिकपुरी पि.भी. गौतमदास  
गाम. कोरवाळ. सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑤ श्री. शिबेश निषाद पि.भी. विसाफू  
गाम सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑥ श्री. रोशनदास पि.भी. पुनपोत्तम  
गाम सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑦ श्री. चित्रसेन थाव्व पि.भी. हनुमंताळ  
गाम सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑧ श्री. रोहित कवर पि.भी. सुमेरसिंह  
गाम सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑨ श्री. भीमसेन दाडू / पि.भी. लाल सिंग  
निवासी. सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑩ श्री. डोमन निषाद पि.भी. डमय लाल  
निषादी. सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी
- ⑪ श्री. कमळ निषाद पि.भी. दानारंग निषाद  
निवासी. सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी.
- ⑫ श्री. मिलेण्ड दिवान पि.भी. रैनसिंग दिवान  
निवासी. सेलडीप तह कुरुह जि० दामतरी

श्री. गोरसिंग निषाद

श्री. संकुसदास मानिकपुरी

श्री. शिबेश निषाद

श्री. रोशनदास

श्री. चित्रसेन थाव्व

श्री. रोहित कवर

श्री. भीमसेन दाडू

श्री. डोमन निषाद

श्री. कमळ निषाद

श्री. मिलेण्ड दिवान

श्री. गोरसिंग निषाद

श्री. संकुसदास मानिकपुरी

श्री. शिबेश निषाद

श्री. रोशनदास

श्री. चित्रसेन थाव्व

## कार्यालय तहसीलदार कुरुद, जिला - धमतरी (छ0ग0)

// ज्ञापन //

क. / 132 / तह. / वा.1 / 2023

कुरुद, दिनांक - 20 / 12 / 2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय  
(खनिज शाखा) जिला धमतरी

विषय :- स्थल जांच सीमांकन का प्रतिवेदन भेजने बाबत।  
संदर्भ :- आपके ज्ञापन कं. 3200 / खनिज / सीमांकन / 2023-24 धमतरी  
दिनांक 14.12.2023

--00--

सन्दर्भित विषयान्तर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 13.12.2023 को प्राप्त शिकायत जांच छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रतिनिधि, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर धमतरी संयुक्त जांच शियायतकर्ता श्री गौरसिंग निषाद व अन्य ग्रामवासी सेलदीप की उपस्थिति में किया गया। उक्त क्षेत्र में पूर्व दिनांक 17.10.2018 से 14.06.2019 तक रेत खदान स्वीकृत रही है। स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र एवं स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त रेत की अवैध निकासी किये जाने के संबंध में स्थल जांच कर अघतन स्थिति के संबंध में आपके द्वारा प्रतिवेदन चाही गई।

उक्त संबंध में हल्का पटवारी प.ह.नं. 55 रा.निम. कुरुद से जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदनानुसार ग्राम सेलदीप स्थित शासकीय भूमि ख0न0 939 रकबा 70.69 हे. की भूमि जो पानी के नीचे (महानदी) के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। महानदी में अवैध रेत निकासी के संबंध में शिकायत की जांच ग्रामवासी एवं ग्राम कोटवार के साथ मौके पर जाकर किया गया। मौके पर स्थल निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार से अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है, अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
तहसीलदार  
कुरुद

# प्रतिवेदन

प्रति

उत्ती-मान तहसीलका

तहसील कार्यालय कुरुवा

विषय - खाल जोच कु संबंध मे

विषय-तीतल कोरब हे कु प.ए.न. 5

रा.डि.म. कुरुवा तहसील जिला. चामरुके के अंतर्गत

ग्राम - खेलादीप स्थित खासकीय मृमि सर्वे नं. 939

रकबा - 70.69 हे. की मृमि को पानी कु नीचे (महानदी

कु रूप में रातास्व अभिलेख में दर्ज है। महानदी

में अवेध रेत निकाली कु संबंध में किय गय

शिकायत की जोच ग्रामवासि एवं ग्राम कोटवार

के साथ मौके पर जाकर किय मौके पर स्वल

निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार से अवेध उत्खनन

नहीं किय जा रहा है। अवेध उत्खनन किय

जाने कु संबंध में कोई साक्ष्य नही होना

पामा गया।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रस्तुत है।

EUJ  
20/02/2023

संलग्न

पंचनामा शुक प्रति

पंचनामा

आज दिनांक 20/12/2023 को फ. सं. नं. 55-

श. 0 म कुचल लहल कुचल गिमा चामारी के अंश नग शक  
सेलपीप टि.पत शासकीय कर्मि सेके नं. 939 का रूपका  
निरीक्षण ग्राहक मिश्री, ग्राम कोटवाट के साथ मीके पर  
जाकर किया। मीके पर वलीमान समय में किसी भी प्रकार  
से रेत का उत्खनन नहीं किया जा रहा है। तथा  
रेत खनन न किए जाने के लक्षण में कोई साक्ष्य द्यन  
निरीक्षण के दौरान नहीं दिखाई दिया।

पंचनामा किया, पहा एवं हलनाएन  
लिया।

  
20/12/2023

गोकुलराम  
गानीराम  
सुवधारक  
सुन्दरराम

संतुष पाल  
कोटवाट

चित्रसेन चौहान  
लखन लाल  
गीतमोन मडु  
  
  
रामेश्वर  
कुलेश्वर  
जयजि कुमार  
शिलावन  
दीपेश दीवान  
मनोज मडु  
पुष्पेश साहू  
दुर्गा पटेल  
जोमा नगल मिश्री

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्रमांक 07722-232013

ई-मेल - miningdhamtari@gmail.com

क्रमांक 2331 / खनिज / विधि. / रेत / शिका. / 2023

धमतरी, दिनांक 26 / 12 / 2023

प्रति,

सदस्य सचिव,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

नवा रायपुर अटल नगर(छ0ग0)

विषय -

ओ0ए. क्रमांक 136 / 2023(सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ0ग0 एवं अन्य ।

संदर्भ:-

(1)आपका पत्र क्रमांक 5823 / विधि / छ0ग0प0सं0मं0 / 2023 अटल नगर रायपुर 17.10.2023

(2) कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी का पत्र क्रमांक 8454 दिनांक 20.10.2023 ।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम सेलदीप तहसील कुरुद जिला धमतरी में रेत के अवैध उत्खनन/निकासी के संबंध में श्री गौरसिंग निषाद निवासी सेलदीप के द्वारा शिकायत प्राप्त हुए है। प्राप्त शिकायत की जांच राजस्व/क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर/खनिज विभाग धमतरी द्वारा सयुक्त जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2023 व तहसील कार्यालय कुरुद का पत्र क्रमांक 132 / तह. / वा.1 / 2023 दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जिसमें समक्ष मौका जांच एवं कथनानुसार ग्राम सेलदीप में स्वीकृत रेत खदान अवधी दिनांक 17.10.2018 से 14.06.019 तक ग्राम पंचायत सेलदीप के पक्ष में खसरा क्रमांक 939 रकबा 70.69 हे0 में से 5.00 हे0 क्षेत्र में रेत खदान स्वीकृत रही है। जिसका संचालन ग्राम पंचायत सेलदीप के द्वारा किया जाता था। खदान संचालन से ग्राम पंचायत को राशि 17,00,000 / -रु. राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उक्त शिकायत क्षेत्र पर किसी प्रकार से रेत की उत्खनन होना नहीं पाया गया तथा ग्राम सेलदीप मे खसरा क्रमांक 154 / 1, 2 रकबा 0. 86 हे. क्षेत्र में परागबढे निवासी दुर्ग को 14790 घनमीटर के लिए अवधी दिनांक 27.05.2021 से 26. 05.2024 तक रेत भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत है। ग्राम सेलदीप एवं करेलीछोटी की आपसी सहमति से आवागमन हेतु नदी पर रेम का निर्माण किया गया है। उक्त रेम्प पर पूर्व में स्वीकृत ग्राम करेलीछोटी रेत खदान की रेत निकासी की जाती थी ।

अतः उक्त शिकायत क्षेत्र पर रेत की अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। जिसके कारण उक्त शिकायत पत्र नस्तिबद्ध किया जा सकता है। तत्संबंध में प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 26 / 12 / 2023

पृ क्रमांक 2331-A / खनिज / विधि. / रेत / शिका. / 2023

प्रतिलिपी :- 1. कलेक्टर जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

2. आवेदन श्री गौरसिंग निषाद निवासी ग्राम सेलदीप जिला तहसील कुरुद जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर धमतरी (छ.ग.)